

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 338

दिनांक 11/03/25

प्राथी :-

1. आईदानराम पुत्र रतनाराम
जाति भील, निवासी रूपनगर, बावडी कला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1. नबाव 2. शेरू पि. हुसैन जाति मुसलमान
3. मोहनलाल पुत्र उदाराम जाति सोनी
4. बाहलराम पुत्र रतनाराम जाति भील निवासी रूपनगर
बावडी कला तहसील चौहटन 5. तहसीलदार चौहटन

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन 62 / 2024

दिनांक 04.03.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावडी कला के मौजा रोडियो का तला के खेत खसरा सं. 370 / 171, 380 / 171 रकबा क्रमशः 1.6187, 1.4569 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी / पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राथी कमिश्नर को कमिश्नर फीस रूपये 500 / - मौके पर अदा करेगे।

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 338 to 342

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्राथी आईदानराम पुत्र रतनाराम
3. विप्रार्थीगण नबाव पुत्र हुसैन
4. शान्नाधिकारी पुलिस थाना चौहटन / बीजराड / धोरीमना / धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 11/03/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन